शासक वर्ग को जरूरत है अन्ना की

सरकार ने जब सस्ते में अन्ना की मांगे मान ली और लोकपाल विधेयक लाने को तैयार हो गई तो अन्ना ने अनशन तोड़ दिया और बहुत ही जल्दी में वह कमेटी भी बन गई जिसे लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करना था। फ़र्क सिर्फ़ यह पड़ा कि शरद पवार की जगह प्रणव मुखर्जी इस कमेटी के अध्यक्ष बन गये और सह अध्यक्ष बने 'सिविल सोसाइटी' की तरफ़ से शांतिभूषण। शांतिभूषण भी कानून मंत्री रह चुके हैं। इनके सुपुत्र प्रशांत भूषण भी इस कमेटी में हैं। ये करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं और इलाहाबाद में बंगला खरीदने के मामले में इन पर टैक्सचोरी का आरोप लग चुका है। इसके अलावा न्यायपालिका में होने वाली 'सेटिंग-गेटिंग' में शामिल रहने का आरोप भी इन पर है और इस संबंध में एक सीडी राजनीतिक गलियारों में खूब धमाल मचा रही है। प्रशांतभूषण इस सीडी को जाली बता रहे हैं और शांतिभूषण कह रहे हैं कि उनकी अमर सिंह से कोई मुलाकात ही नहीं हुई है, पर सच क्या है और क्या झूठ, यह आम जनता को कभी पता नहीं चल पायेगा। कथित सीडी के अनुसार अमर सिंह मुलायम सिंह के किसी मामले की न्यायपालिका में 'सेटिंग-गेटिंग' करवाने के लिए प्रशांतभूषण के साथ चार करोड़ की सौदेबाज़ी करवाना चाहते थे। अब इस सीडी को लेकर मारा-मारी मची हुई है और अन्ना का कहना है कि अगर इस मामले में शांतिभूषण दोषी पाये गये तो उन्हें कमेटी से जाना होगा। बहरहाल, सीडी की सत्यता संदिग्ध है। वे यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता लोकपाल बिल के खिलाफ़ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है और कहा है कि कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह दुष्प्रचार अभियान में जोर-शोर से शामिल हैं। अन्ना हजारे को पता है कि इस मामले में सोनिया गांधी ही कुछ कर सकतीं हैं। वैसे उनके साथ, कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी भी है। हजारे ने गुजरात के हिटलर नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा कर उनका विश्वास जीत लिया है। मोदी ने भी हजारे की खूब प्रशंसा की है। हां, अन्ना ने जब सभी राजनीतिज्ञों को ग़लत कहना शुरू किया तो आडवाणी थोड़ा भड़के। पर अन्ना ने जल्दी ही अपनी ग़लती सुधार ली। अन्ना की भूख-हड़ताल का समर्थन करने के लिए हर तरह के भ्रष्ट नेता वहां गये थे। यह भी गौरतलब है कि भ्रष्ट और अपराधी सांसद भी अन्ना के लोकपाल बिल के पारित होने में अपनी भूमिका निभायेंगे।

अन्ना ने पहले ही लोकपाल विधेयक को लेकर अपना रुख लचीला बना लिया। उच्च न्यायपालिका को उन्होंने इससे बरी कर दिया। यानी उच्च न्यायपालिका में होने वाले भ्रष्टाचार के मामलों पर लोकपाल को कुछ भी करने का अधिकार नहीं होगा। अगर अन्ना का यह लचीला रुख बरकरार रहा तो अगली कुछ बैठकों तक प्रधानमंत्री और चंद बड़े अफ़सरशाहों को भी इससे बरी कर दिया जा सकता है।

अन्ना को यह संदेह है कि लोकपाल विधेयक संसद में पारित होगा या नहीं। पहले उन्होंने कहा था कि अगर पारित न हुआ तो कोई बात नहीं। अब वे कह रहे हैं कि अगर संसद ने बिल पारित नहीं किया तो वे अपने समर्थकों के साथ अगले कदम पर विचार करेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम वही धरना, प्रदर्शन, अनशन आदि जिसमें 'सिविल सोसाइटी' के लोग भाग लेंगे। यहां एक सवाल प्रमुखता से उभरता है कि यह 'सिविल सोसाइटी' क्या है? क्या

कांग्रेस की ढाल बने अन्ना हजारे

अन्ना की 'सिविल सोसाइटी' में देश के मज़दूर-किसान और वे 77 प्रतिशत लोग आ जाते हैं जो 20 रुपया रोज़ से कम की आमदनी पर गुज़ारा करने को बाध्य हैं? हर्गिज नहीं। सिविल सोसाइटी का मतलब होता है संभ्रांत समाज और झुग्गियों में रहने वाले मज़दूरों, शहरों की तथाकथित अवैध कॉलोनियों में रहने वाले निम्न पेशा लोगों एवं अनपढ़ ग्रामीणों को संभ्रात कैसे माना जा सकता है? ये लोग अन्ना की भूख-हड़ताल का समर्थन करने के लिए गये भी नहीं थे, क्योंकि कहीं आने-जाने के लिए इन्हें दिहाड़ी तोड़नी पड़ती है। ये अत्यंत आवश्यक काम से ही दिहाड़ी तोड़ते हैं।

इसलिए अन्ना के आंदोलन में उनका समर्थन मध्य वर्ग के विभिन्न तबके कर रहे थे। वर्तमान भारत में ये ही सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। इस बात को जानना जरूरी है कि सिविल सोसाइटी की अवधारणा अंग्रेज़ शासकों की है। जिन छोटे-बड़े शहरों में अंग्रेज़ों को प्रशासनिक व व्यावसायिक कार्यों के लिए रहना पड़ता था, वहां वे आम जनता से अलग-थलग एक सिविल लाइन्स की स्थापना करते थे और वहीं बंगले बनवा कर निवास करते थे। उनके देश छोड़ कर जाने के बाद 'काले अंग्रेज़' सिविल लाइन्स में रहने लगे। इससे अन्ना जब सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो ठीक ही करते हैं। सिविल सोसाइटी के लोग ही उनके आंदोलन के समर्थन में थे और आगे भी रहेंगे। ये सिविल सोसाइटी यानी मध्य वर्ग के लोग ही 'भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार' चिल्लाने वालों में सबसे आगे हैं और मौका मिलते ही भ्रष्टाचार करने वालों में भी किसी से पीछे नहीं हैं। नहीं तो अन्ना बतायें कि मध्य वर्ग के विभिन्न संस्तरों के लोगों जिसमें सभी तरह के पेशेवर लोग, व्यवसायी और छोटे उद्योगपति तक आ जाते हैं, के अलावा आम जनता जो खेतों-खलिहानों-खदानों और फ़ैक्ट्रियों में मेहनत-मशक्कत करती है, आख़िर किस तरह का भ्रष्टाचार करती है? फ़िर यह क्यों कहा जाता है कि भ्रष्टाचार में सभी शामिल हैं? भ्रष्टाचार में जो भी शामिल हों, उनमें मेहनत-मशक्कत करने वाले किसान, मज़दूर और छोटे-मोटे काम करके गुज़ारा करने वाले लोग तो शामिल नहीं ही हो सकते। हां, भ्रष्टाचार में शासक वर्ग, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, बड़े व्यवसायी व उनके दलाल, न्याय तंत्र, रक्षा तंत्र, ब्यूरोक्रेसी और छोटे-बड़े उद्योगपति शामिल हैं जो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं। देश की 90 प्रतिशत आबादी भ्रष्टाचार की शिकार है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, एक भ्रष्ट तंत्र का सहारा लेकर सत्ता पर काबिज़ लोग बहुसंख्यक आबादी की रक्त-मज्जा को अवशोषित कर रहे हैं। भ्रष्ट तंत्र द्वारा आम मेहनतकश आबादी का शोषण अब चरम पर पहुंच गया है। यह शोषण अब ऐसे उबाल-बिंदु पर पहुंच गया है कि कभी भी उत्पीड़ित जनता विद्रोह कर सकती है। कभी भी शिव का तांडव नृत्य शुरू हो सकता है। सत्ताधारियों को इसका इल्म है।

इसलिए उन्हें अन्ना की जरूरत भी है। अन्ना 'भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार' का शोर मचाते हैं, पर यह नहीं बताते कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं? और जब भ्रष्टाचार के कारणों को न समझेंगे तो फ़िर उसे खत्म कैसे करेंगे? अन्ना का 'लोकपाल' क्या सीधा देवलोक से आयेगा जिसके पास कोई जादुई डंडा होगा और उसे घुमा कर वह भ्रष्टाचार को पल भर में समाप्त कर देगा?

अन्ना को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि भ्रष्टाचार वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना यह व्यवस्था खड़ी ही नहीं हो सकती, चल पाना तो दूर की बात है। इस भ्रष्टाचार की शुरुआत तो तभी हो जाती है जब मेहनतकश से उसकी मेहनत के फल को हड़प लिया जाता है। यद्यपि इस व्यवस्था में इसे वैधानिक रूप दिया गया है और इस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाता, पर जब पूंजीपति और उसके प्रतिनिधि शासक वर्ग की लालच इतनी बढ़ जाती है कि वह अवैधानिक तरीके से भी लूट-पाट शुरू कर देता है तो भ्रष्टाचार का शोर मचता है।

बहरहाल, अन्ना को जो समर्थन मिला, वह सिविल सोसाइटी से ही मिला, जन-समाज से नहीं। इसी से उनके आंदोलन के चरित्र को समझा जा सकता है। आगे भी अन्ना को सिविल सोसाइटी से भरपूर समर्थन मिलेगा। इसलिए वे छोटी-मोटी बाधाओं से निराश न हों। शासक वर्ग को उनकी जरूरत है। जनता में शासक वर्ग के प्रति जो आक्रोश उबल रहा है, उसे अन्ना और अन्ना जैसे 'समाज-सेवी' ही चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, विस्फोटक होने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं।

- मनोज

नगर निगम के संरक्षण में

बाज़ारों में अतिक्रमण, गलियों में अतिक्रमण

फ़रीदाबाद (म.मो.) इस शहर के बाज़ारों, सड़कों और रिहायशी क्षेत्रों की गलियों में अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। जिसे जहां मौका मिलता है अतिक्रमण कर लेता है। बाज़ारों में अतिक्रमण, सड़कों पर अतिक्रमण और गलियों में भी अतिक्रमण। लोगों द्वारा अपने आसपास की जगह का अतिक्रमण कर लेना इस शहर की खासियत है। बाज़ारों में व्यवसायी अपनी दुकान पर चार-छः फुट तक अपना सामान फैलाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं जिसे की बड़ी हद तक सरकार ने मान्यता दे रखी है। उन्हें लगता है कि जब दुकान का सामान सड़क पर फैला रहेगा तो ग्राहक ज्यादा आकर्षित होंगे और उनके सामानों की बिक्री बढ़ेगी। इसी नीयत से वे सड़क का अतिक्रमण कर लेते हैं और आने-जाने वाले लोगों एवं वाहनों के लिए मुसीबतें पैदा कर देते हैं। लोग भीड़भाड़ में किसी तरह एक-दूसरे से टकराते और वाहनों से टकराने से बचते बाज़ार से गुजरते हैं। ऐसे में बाज़ार से गुजरने वाले लोगों के बीच परस्पर विवाद होना स्वाभाविक है। इसके अलावा सड़क पर अथवा सड़क के बीच जहां पार्किंग की व्यवस्था की गई है, रेहड़ी वाले भी खड़े होते हैं। सड़क के किनारे रिक्शे वाले भी सवारियों के इंतज़ार में यदा-कदा खड़े दिखाई पड़ते हैं। एक नंबर मार्केट में गुरुद्वारे के ठीक सामने वाली सड़क के बीचोबीच कई रेहड़ी वाले खड़े होते हैं जो शिंकजी आदि बेचते हैं। एक ने तो कपड़े की दुकान लगा दी है और बाकायदा एक बोर्ड लगा दिया है कि सेल्समैन और सेल्सगर्ल्स की आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं कि वहां पुलिस नहीं होती। सड़क के किनारे एक कोने में कभी-कभी कोई पुलिसिया इस अंदाज में खड़ा होता है जैसे सड़क की दुकान पर खड़ा पुतला। अतिक्रमण के कारण एक नंबर मार्केट की मुख्य सड़क इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि कभी-कभी गाड़ियों का निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस संवाददाता ने एक बार देखा कि कोतवाली के एसएचओ की गाड़ी इस मार्केट से गुजर रही थी, पर उसके लिए सरपट निकल पाना मुश्किल हो रहा था। इस पर एसएचओ ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को गालियां देनी शुरू कर दी। इस पर किसी ने कहा कि अतिक्रमण के कारण यहां बहुत बुरा हाल है, तब एसएचओ ने उसे सलाह दी कि मारो इन साले दुकानदारों को। ये कहने से समझने वाले नहीं हैं। इसी बीच किसी तरह रास्ता बन गया और एसएचओ की गाड़ी निकल गई। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या इन दुकानदारों से भिड़ पाना किसी के लिए आसान है? अगर कोई इनसे कुछ बोले तो सब एकजुट हो जायेंगे और मार-मार कर उसका कीमा बना डालेंगे। उसकी बातों में केवल इस हद तक सच्चाई थी कि सरकारी मशीनरी एकदम नाकारा हो चुकी है जिसके कारण अतिक्रमणकारी मजबूत दिखाई देते हैं। कतिपय दुकानदार तो ऐसे हैं जो स्वयं सड़क का अतिक्रमण तो करते ही हैं, अपनी दुकान के सामने रेहड़ी लगाने अथवा सड़क के किनारे ही सामान फैला कर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों से माहवारी किराया वसूल करते हैं। इस संवाददाता ने देखा कि एक दुकान पर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि सामने वाला ठीया किराये के लिए खाली है। अब इससे ज्यादा हद क्या होगी? दुकानदार इतने दुस्साहसी हो गये हैं कि सड़क को किराये पर लगाने के लिए 'टू लेट' का बोर्ड लगा रहे हैं। क्या ऐसे दुकानदारों से कोई आम आदमी निपटेगा? उल्लेखनीय है कि इनसे निपटने की नगर निगम की हर कोशिश नाकामयाब हुई। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर जब निगम प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाना चाहा तो इसके खिलाफ़ सारे दुकानदार एकजुट हो गये और उन्होंने मार्केट को बंद कर दिया। अतिक्रमण हटाने के लिए आये नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी अपना-सा मुंह लेकर लौट गये। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। ए.सी.चौधरी जब मंत्री थे तब उन्होंने इस मामले में दुकानदारों को यह अभयदान दिया था कि उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाया जायेगा। यानी उच्च न्यायालय के आदेश को भी धता बता दिया गया। नगर निगम भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यवसायियों की धौंस में आ गया। संभव है, जिस तरह राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए व्यवसायी राजनीतिज्ञों के आगे चांदी के टुकड़े फेंकते हैं, उसी प्रकार प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की हैसियत के अनुसार उनके आगे टुकड़े फेंके होंगे। नगर निगम के अफ़सरान न्यायपालिका के आदेश की आड़ में भौंके नहीं, इसलिए ऐसा करना जरूरी समझा गया होगा और तत्कालीन मंत्री महोदय ए.सी.चौधरी ने भी उन्हें यही सलाह दी होगी कि इन्हें कुछ चटा दो। जो हाल मार्केटों का है, वही हाल नेहरू ग्राउंड की लोहामंडी का है। यद्यपि लोहामंडी के लिए वैकल्पिक स्थान दे दिया गया है, पर अधिकांश लोहा व्यापारी वहां जाना नहीं चाहते। वे रिहायशी इलाके में ही अपना व्यापार चला रहे हैं, पर इससे आम जनता को कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। नगर निगम के पास इतने अधिकार हैं कि वह चाहे तो तुरंत अतिक्रमण समाप्त कर सकता है और अतिक्रमण करने वालों को जेल की सींखचों के अंदर कर सकता है, पर निगम के भ्रष्ट अफ़सरों में इतना दम कहां? ईमानदार अफ़सर दुकानदारों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने वाले नेताओं की बातें मानने से इनकार कर सकते हैं और उनका असली चेहरा जनता के सामने ला सकते हैं, पर भ्रष्टाचारियों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मार्केटों में दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण की देखादेखी अब एनआईटी के नंबरों और कॉलोनियों में घर बनाने वाले भी अपने सामने की सड़क और गली का अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। जब कोई एक अतिक्रमण करता है तो दूसरा भी यही काम करता है और कहीं कोई घाटे में न रह जाये, इसलिए सभी अपने घर के आगे जहां तक संभव हो सके पक्की सीमेंट लगवा कर सड़क अथवा गली का अतिक्रमण कर लेते हैं। कार रखने वालों में शायद ही कोई इक्का-दुक्का मिले जिसने गैराज बना रखा हो, बाकी सभी की गाड़ियां स्थाई रूप से सड़कों के किनारे ही खड़ी रहती हैं, भले ही इससे किसी को कितनी भी परेशानी क्यों न हो।